संख्या- 17/2024/417(1)/58-2024/1718847

प्रेषक,

विनय कुमार

उप सचिव,

उत्तचर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या- 10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4415-80-800-04-0402- टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना योजनान्तर्गत आय-व्ययक में नवीन मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-1000.00 लाख के सापेक्ष 24- वृहत् निर्माण कार्य एवं मशीन और साज-सज्जा सहित कार्यों हेतु धनराशि रू0-854.70 लाख अवमुक्त किये जाने की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीरकृति के सम्बयन्ध- में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-124/बजट/2023-24, दिनांक-02.02.2024 एवं पत्र सं0-135/ बजट/2023-24, दिनांक-07.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या- 10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4415-80-800-04-0402- टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना योजनान्तर्गत आय-व्ययक में नवीन मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू 0-1000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-854.70 लाख **अवमुक्त किये जाने की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति श्री** राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) चूँकि वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। निदेशक/वित्त विनयंत्रक वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि इनका उल्लंघन न हो।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क्रण विभाग का होगा।

uphed.up.gov.in

(3) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

(4) निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(6) निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(7) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंरकरण विभाग का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नही रखी जाएगी। स्वीकृत धनराशि आवश्यकता के अनुसार आहरित कर स्वीकृत कार्यों पर ही व्यय की जाएगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(10) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमो तथा समय-समय पर तद्संबंधी शासनादेशो तथा नियमों के अनुसार ही किया जायें।

(11) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(12) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार /केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत सोलर सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर कूलर, टिश्यू कल्चर लैब इक्यूपमेन्ट एवं फर्नीचर का प्रावधान किया गया है। अतः इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाय।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित फर्नीचर व कम्प्यूटर सिस्टम एवं टिश्यू कल्चर लैब इक्यूपमेन्ट की लागत को अनुमन्य किया गया है। इनके क्रय हेतु निदेशक/वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में क्रय समिति का गठन किया जाये, जिसके द्वारा प्रस्तावित फर्नीचर की न्यूनतम आवश्यकता एवं गुणवत्ता का निर्धारण कर फर्नीचर का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाय।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओ को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक/वित्त नियंत्रक का होगा।

(18) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय / वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से राकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(19) प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है , जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना , कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि निदेशक/वित्त नियंत्रक के सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा । निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कपरण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृति है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(21) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) निदेशक एवं वित्त नियंत्रक अधिकारी द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

(23) संदर्भित प्रायोजना का गठन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता ,उ०प्र० ,लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग) के पत्रांक- 272 कैम्प/मु 0 अभि 0 (भवन)/ 2023 दिनांक 10-10-2023 तथा पत्रांक - 294 कैम्प / मु 0 अभि 0 (भवन)/ 2023 दिनांक 26-10-2023 के द्वारा डी०एस०आर० की दरों में फैक्टर / कास्ट इन्डेक्स का समावेश करते हुए आगणन का गठन किया गया है। कतिपय ऐसी कार्यमदें जिनकी दरें उक्त दरों में उपलब्ध नहीं है ,उन्हें बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। तद्नुसार प्रभाग द्वारा लागत का परीक्षण किया गया है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2415800040402 (टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2415800040402 टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	17,30,000 (रुपये सत्रह लाख तीस हजार मात्र)
	कुल			**17,30,000** **(रुपये सत्रह लाख तीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4415808000402 (टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	4415808000402 टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना	24 वृहत् निर्माण कार्य	4,38,77,000 (रुपये चार करोड़ अड़तीस लाख सतहत्तर हजार मात्र)
2	010	4415808000402 टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	3,98,63,000 (रुपये तीन करोड़ अट्ठानबे लाख त्रेसठ हजार मात्र)
	कुल			**8,37,40,000** **(रुपये आठ करोड़ सैंतीस**

				लाख चालीस हजार मात्र)

महायोग	8,54,70,000 (रुपये आठ करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- **E-1-745-X-2023-24-दिनांक:30-3-2024** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 17/2024/417(1)/58-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड प्रयागराज।
(3) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

htt

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।